



न्यायालय :- उपजिलाधिकारी
 मण्डल : देवीपाटन, जनपद : गोंडा, तहसील : मनकापुर
 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202108300704379
 वाद संख्या:- 4379/2021
 पं० जमुना प्रसाद शिक्षण संस्थान गौराचौकी प्रबन्धक राजमणि त्रिपाठी बनाम सरकार
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 80
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि:- 23/10/2021

निर्णय

प्रस्तुत वाद राजमणि त्रिपाठी पुत्र जमुना प्रसाद त्रिपाठी नि०ग्रा०-कूकनगरग्रन्ट पश्चिमी परगना-बूढ़ापायर तहसील-मनकापुर जनपद-गोण्डा का वाद धारा-80(1)उ०प्र०रा०सं० 2006 के अन्तर्गत उद्घोषणा हेतु आवेदन दिनांक-07.04.2021 पर प्रारम्भ हुआ। प्रार्थी का गाटा सं०-443/0.6900हे० में 0.081हे० व गाटा सं०-453/0.411हे० भूमि पर पं० जमुनाप्रसाद शिक्षण संस्थान गौरा चौकी गोण्डा प्रबन्धक राजमणि त्रिपाठी पुत्र जमुना प्रसाद त्रिपाठी बाउन्डीवाल बनाकर अकृषिक के रूप में प्रयोग कर रहा है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूमि गाटा सं०-443/0.6900हे० में 0.081हे० व गाटा सं०-453/0.411हे० भूमि स्थित ग्राम-मन्त्रीजोत परगना बूढ़ापायर तहसील मनकापुर जिला गोण्डा को प्रार्थी द्वारा अकृषिक घोषित करने हेतु याचना किया गया है।

पत्रावली नायब तहसीलदार मनकापुर को जांच हेतु पृष्ठांकन आदेश दिनांक-10.04.2021 को प्रेषित किया गया। नायब तहसीलदार मनकापुर की जांच आख्या दिनांक-18.10.2021 के अनुसार ग्राम-मन्त्रीजोत परगना बूढ़ापायर तहसील मनकापुर जनपद गोण्डा स्थित गाटा सं०-443/0.6900हे० में 0.081हे० व गाटा सं०-453/0.411हे० में पं० जमुनाप्रसाद शिक्षण संस्थान गौरा चौकी गोण्डा प्रबन्धक राजमणि त्रिपाठी पुत्र जमुना प्रसाद त्रिपाठी उपरोक्त के नाम संक्रमणीय भूमिधर कागजात है। गाटा सं०-443/0.6900हे० में 0.081हे० व गाटा सं०-453/ 0.411हे० बैनामे के आधार पर बाउन्डीवाल बनाकर अकृषिक रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जो अकृषिक होने योग्य है। ग्राम-मन्त्रीजोत परगना बूढ़ापायर तहसील मनकापुर जिला गोण्डा की खातौनी वर्ष 1423-1428फ० के खाता सं०-00035 के गाटा सं०-443/0.6900हे० में 0.081हे० व खाता सं०-00184 के गाटा सं०-453/0.411हे० भूमि पर पं० जमुना प्रसाद शिक्षण संस्थान गौरा चौकी गोण्डा प्रबन्धक राजमणि त्रिपाठी पुत्र जमुना प्रसाद त्रिपाठी नि०ग्रा०-कूकनगरग्रन्ट पश्चिमी परगना बूढ़ापायर तहसील मनकापुर जिला गोण्डा के नाम उ०प्र०रा०सं०2006 की धारा-80 के अन्तर्गत गैर कृषिक क्षेत्रफल दर्ज करने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है।

नायब तहसीलदार मनकापुर की आख्या दिनांक-15.04.2021 प्राप्त होने के पश्चात उपनिबन्धक मनकापुर से (बाउन्डीवाल बना होने के कारण) अकृषिक घोषित करने हेतु वर्तमान रेट के अनुसार मूल्यांकन आख्या दिनांक-31.05.2021 को मांगी गयी। उपनिबन्धक मनकापुर की आख्या दिनांक-17.06.2021 के अनुसार वर्तमान में भूमि के मूल्यांकन पर देय स्टाम्प शुल्क मु० 16860/-रु० निर्धारित किया गया है। निर्धारित शुल्क के रूप में आवेदक राजमणि त्रिपाठी पुत्र जमुना प्रसाद त्रिपाठी द्वारा मु० 16860/-चालान सं०-थ्स०00001 व सीमांकन शुल्क 1000/-रु० चालान सं०-थ्स०00002 दिनांक 21.06.2021 को जमा कोष किया गया तथा 16860/-रु० का स्टाम्प मूल रूप में संलग्न किया गया।

पत्रावली में वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य ग्राम-मन्त्रीजोत की खतौनी फ०वर्ष 1423-1428, खसरा 1428 फ०, नजरी नक्शा

(2)

जो०च०आ०पत्र 41 व 45 तथा स्थल के दो फोटोग्राफ (जिसमें बाउन्डीवाल बना हुआ दर्शित है) तहसीलदार मनकापुर की आख्या दिनांक-15.04.2021 का सम्यक परिशीलन किया गया। गाटा सं०-443/0.6900हे० में 0.081हे० खाता सं०-00184 के गाटा सं०-453/0.411हे० पर बाउन्डीवाल बना हुआ है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।
 आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आदेश किया जाता है कि ग्राम-मन्त्रीजोत परगना-बूढ़ापायर तहसील-मनकापुर, जिला-गोण्डा की वर्तमान खतौनी 1423-1428फ० के खाता सं०-00035 के गाटा सं०-443/0.6900हे० में 0.081हे० व खाता सं०-00184 के गाटा सं०-453/0.411हे० भूमि पर अंकित खातेदार पं० जमुना प्रसाद शिक्षण संस्थान गौरा चौकी गोण्डा प्रबन्धक राजमणि त्रिपाठी पुत्र जमुना प्रसाद त्रिपाठी नि०ग्रा०-कूकनगरग्रन्ट पश्चिमी (बाउन्डीवाल बना होने के कारण) कृषि कार्य से भिन्न उपयोग होने के कारण अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अनुपालन हो। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक मनकापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। पत्रावली बाद अंकना दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-23.10.2021

(ज्ञानचन्द्र गुप्ता)
 उप जिलाधिकारी
 मनकापुर-गोण्डा।

Disclaimer :

उपर्युक्त सूचना मात्र सूचना है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"